



CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI


छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

सूचना

MHRD तथा UGC के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल SLP (WA no. 43260 of 2016) के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा "भारत सरकार के आरक्षण नीति का क्रियान्वयन" विषयांतर्गत देश के समस्त विश्वविद्यालयों को पत्र प्रेषित करते हुये निर्देशित किया गया है, कि यदि कोई नियुक्ति प्रक्रिया जारी हो तो आगामी आदेश तक स्थगित की जावे।

उपरोक्त के परिपालन में विश्वविद्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है।

(सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित)


कुलसचिव . 5/9/18
छस्वावितवि, भिलाई